

कार्यालय आदेश सं. 76/2017

महाप्रबन्धक (कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं. 57, पृष्ठांक सं. - का/ 266/490-चि.(1) गोरखपुर, दिनांक -09.03.2017 द्वारा स्वयं के अनुरोध पर डॉ.डी.के.सिंह,वर्मा/छपरा का स्थानांतरण उप.मुचिनि,मुचिनि कार्या./गोरखपुर किया गया है, को तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।


उपरोक्त पर मंरेप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मण्डल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी
दिनांक 01.05.2017

सं. का/191/राज/डॉ.डी.के.सिंह/पीसी

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. मुख्य चिकित्सा निदेशक/गोरखपुर।
5. विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
6. उप मुकाधि(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
7. चिकित्सा निदेशक, कैसर संस्थान/वाराणसी।
8. मरेप्र/अमरेप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
9. वर्माविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
10. वर्माकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. सभी शाखाधिकारी/वाराणसी मण्डल।
12. मंडल मंत्री/नरमू एवं अजा-अजजा एसो।
13. सम्बन्धित अधिकारी।


01-05-17
कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
वाराणसी